# नर्मदा घाटी विकास विभाग
# मध्यप्रदेश शासन
## वर्ष 2016 - 2017

## विभाग प्रमुख

| | | |
|---|---|---|
| विभाग का नाम | : | **नर्मदा घाटी विकास विभाग** |
| प्रभारी मंत्री | : | **श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री**<br>(12.12.2008 से 13.12.2013 तक)<br>(14.12.2013 से 03.07.2016 तक) |
| | : | **श्री लाल सिंह आर्य**<br>21.12.2013 से 03.07.2016 तक राज्यमंत्री एवं 04.07.2016 से राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
| अपर मुख्य सचिव | : | **श्री रजनीश वैश, आई.ए.एस.**<br>01.09.2015 से निरंतर) |
| उपसचिव | : | **श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी**<br>(22.06.2012 से 31.10.2016 तक<br>(01.11.2016 से पद रिक्त) |

## नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण प्रमुख

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | : | **श्री राकेश साहनी (केबिनेट मंत्री दर्जा)**<br>(16.07.2015 से निरंतर) |
| उपाध्यक्ष | : | **श्री रजनीश वैश, आई.ए.एस.**<br>(02.04.2012 से निरंतर) |

# नर्मदा घाटी विकास विभाग
# प्रशासनिक प्रतिवेदन
# वर्ष
# 2016-2017

क्षिप्रा में प्रवाहित नर्मदा जल

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | **भाग–एक** | |
| **1.0** | **नर्मदा** | **1** |
| 1.1 | नर्मदा घाटी | 1 |
| 1.2 | नर्मदा कछार में आने वाले जिले | 1 |
| 1.3 | विभाग का गठन | 1 |
| 1.4 | नर्मदा नियंत्रण मण्डल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | 1 |
| 1.5 | नर्मदा नियंत्रण मण्डल की संरचना | 2 |
| 1.6 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संरचना | 2 |
| 1.7 | विभाग के दायित्व | 3 |
| 1.8 | विभागीय दायित्वों की पृष्ठ-भूमि | 3 |
| 1.9 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना | 4 |
| 1.10 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें | 5 |
| 1.11 | प्राधिकरण अंतर्गत मैदानी संरचनायें | 6 |
| 1.12 | प्रशासन शाखा के कार्य | 8 |
| | **भाग–दो** | |
| **2.0** | **परियोजनाएं** | **9** |
| 2.1 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं | 9 |
| 2.2 | निर्मित परियोजनाएं | 9 |
| 2.3 | निर्मित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण | 9 |
| 2.4 | निर्माणाधीन परियोजनाएं | 10 |
| 2.5 | निर्माणाधीन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण | 11 |
| 2.6 | स्वीकृत परियोजनाएं | 15 |
| 2.7 | प्रस्तावित परियोजनाएं | 16 |
| | **भाग–तीन** | |
| **3.0** | **बजट** | **17** |
| 3.1 | वर्ष 2016-17 के लिये उपलब्ध बजट प्रावधान | 17 |
| 3.2 | मदवार बजट तथा व्यय | 18 |
| | **भाग–चार** | |
| **4.0** | **परियोजनाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य** | **26** |
| 4.1 | पुनर्वास | 26 |
| 4.2 | पर्यावरण | 27 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.3 | वन्य प्राणी संरक्षण | 27 |
| 4.4 | मत्स्य पालन | 27 |
| 4.5 | जलग्रहण क्षेत्र उपचार | 27 |
| 4.6 | कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 28 |
| 4.7 | जल उपभोक्ता संथाओं का गठन | 28 |
| 4.8 | स्वास्थ्य कार्ययोजना | 29 |

**भाग–पांच**

| | | |
|---|---|---|
| **5.0** | **परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन** | **31** |
| 5.1 | नाबार्ड ऋण सहायता | 31 |
| 5.2 | त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) | 31 |

**भाग–छः**

| | | |
|---|---|---|
| **6.0** | **विभाग के विशेष प्रयास** | 32 |
| 6.1 | नर्मदा-मालवा लिंक परियोजनाएं | 32 |
| 6.2 | नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना | 32 |
| 6.3 | नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना | 32 |
| 6.4 | चिंकी माइक्रो इरिगेशन परियोजना | 32 |
| 6.5 | अलीराजपुर उद्‌वहन सिंचाई परियोजना | 32 |

**भाग–सात**

| | | |
|---|---|---|
| **7.0** | **उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम** | **33** |
| 7.1 | सिंचाई की उपलब्धि | 33 |
| 7.2 | विद्युत उत्पादन | 34 |
| 7.3 | बजट प्रावधान तथा व्यय | 34 |
| 7.4 | दृष्टि-पत्र 2018 | 35 |
| 7.5 | जन संकल्प 2013 | 36 |
| 7.6 | भावी कार्ययोजना | 36 |

**भाग–आठ**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | जल उपयोग के लिये विभाग की नवाचारी रणनीति | 37 |

# भाग - एक

## 1.0 नर्मदा

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के अमरकण्टक स्थान, जो समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, से निकलकर लगभग 1312 कि.मी. की दूरी तक प्रवाहमान होकर अरब सागर में समाहित होती है।

अपने उद्‌गम के बाद नर्मदा अनुपपुर, डिण्डोरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों से बहती हुई मध्यप्रदेश में 1077 कि.मी. की दूरी तय करती है। इसके बाद 35 कि.मी. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर तथा 39 कि.मी. महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बहती है। शेष 161 कि.मी. गुजरात के नर्मदा और भरूच जिले से बहती हुई भरूच से 50 कि.मी. दूर खम्बात की खाड़ी से अरब सागर में समाहित हो जाती है।

नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की यह एकमात्र बड़ी नदी है। नर्मदा की 41 मुख्य सहायक नदियां हैं। इनमें से 19 सहायक नदियां दायें तट से तथा 22 सहायक नदियां बायें तट से नर्मदा में मिलती हैं। कुल 41 सहायक नदियों में से 39 सहायक नदियां मध्यप्रदेश में हैं। केवल 2 सहायक नदियां नर्मदा से गुजरात में मिलती हैं।

## 1.1 नर्मदा घाटी

नर्मदा का कुल कछार क्षेत्र 98796 वर्ग कि.मी. है। इस कछार का 85859 वर्ग कि.मी. क्षेत्र (87 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में है। शेष कछार क्षेत्र में से 1538 वर्ग कि.मी. महाराष्ट्र राज्य और 11399 वर्ग कि.मी. गुजरात में है। नर्मदा कछार की औसत वार्षिक वर्षा 112 सें.मी. है। नर्मदा कछार क्षेत्र में मध्यप्रदेश के 25, गुजरात के 5, छत्तीसगढ़ के 2 और महाराष्ट्र का 1 जिला आता है। नर्मदा कछार में आने वाले राज्यवार जिलों का विवरण इस प्रकार है :-

## 1.2 नर्मदा कछार में आने वाले जिले

| | प्रदेश का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|
| | मध्यप्रदेश | अनूपपुर, शहडोल, डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर |
| | गुजरात | पंचमहाल, वड़ोदरा, नर्मदा, भरूच, सूरत |
| | छत्तीसगढ़ | राजनांदगांव, कवर्धा |
| | महाराष्ट्र | धूलिया |

## 1.3 विभाग का गठन

आरम्भ में नर्मदा कछार सहित मध्यप्रदेश के सभी नदी कछारों में जल-संसाधन परियोजनाओं के निर्माण का दायित्व जल संसाधन विभाग के अंतर्गत था। नर्मदा घाटी के विकास पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई 1981 में पृथक नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन किया।

## 1.4 नर्मदा नियंत्रण मण्डल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा घाटी विकास के वृहत्तर लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा नियंत्रण मण्डल तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया। नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प क्र. 500.2- नघाविवि.- सत्ताईस 83 दिनांक 16 जुलाई 1985 के द्वारा गठित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग की कार्यकारी इकाई है जो नर्मदा नियंत्रण मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

## 1.5 नर्मदा नियंत्रण मण्डल की संरचना

1. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन - अध्यक्ष
2. मंत्री, नर्मदा घाटी विकास विभाग - उपाध्यक्ष
3. निम्नलिखित विभाग के प्रभारी मंत्री, नियंत्रण मण्डल के सदस्य हैं :-
   - जल संसाधन विभाग
   - पर्यावरण विभाग
   - ऊर्जा विभाग
   - लोक निर्माण विभाग
   - कृषि विभाग
   - वन विभाग
   - वित्त विभाग
   - राजस्व विभाग
4. मुख्य सचिव - सदस्य
5. अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - सदस्य
6. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - सदस्य
7. सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग - सदस्य
8. सचिव, जल संसाधन विभाग - सदस्य
9. सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य
10. सचिव, लोक निर्माण विभाग - सदस्य
11. सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
12. मुख्य अभियन्ता, नर्मदा घाटी विकास विभाग - सदस्य
13. सदस्य (वित्त), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - वित्तीय सलाहकार

## 1.6 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संरचना

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सदस्य (अभियांत्रिकी)
4. सदस्य (ऊर्जा)
5. सदस्य (वित्त)
6. सदस्य (पुनर्वास)
7. सदस्य (पर्या. एवं वन)

**निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकरण के पदेन सदस्य हैं :-**

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग
2. कृषि उत्पादन आयुक्त
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग
4. सचिव, वित्त विभाग
5. सचिव, वन विभाग
6. सचिव, ऊर्जा विभाग
7. सचिव, पर्यावरण विभाग
8. सचिव, राजस्व विभाग
9. सचिव, लोक निर्माण विभाग
10. सचिव, जल संसाधन विभाग

## 1.7 विभाग के दायित्व

वृहद् परियोजनाओं के सर्वेक्षण, परियोजना प्रतिवेदन बनाने, परियोजनाओं के निर्माण पूर्व डूब प्रभावित आबादी के पुनर्वास, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, पुरातत्व आदि से संबंधित मापदण्डों का परिपालन और निर्माण के लिये भारत सरकार के संबंधित विभागों और संस्थाओं से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व विभाग का है।

## 1.8 विभागीय दायित्वों की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य के बीच नर्मदा कछार के जल बंटवारे के लिये भारत सरकार द्वारा सन् 1968 में गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10 वर्ष लंबी अवधि की सुनवाई के बाद सन् 1979 में चारों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया। न्यायाधिकरण द्वारा किया गया जल बंटवारा इस प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| मध्यप्रदेश | - | 18.25 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) |
| गुजरात | - | 9.00 एम.ए.एफ. |
| महाराष्ट्र | - | 0.25 एम.ए.एफ. |
| राजस्थान | - | 0.50 एम.ए.एफ. |
| **कुल** | **-** | **28.00 एम.ए.एफ.** |

**नर्मदा जल आवंटन-ग्राफिक प्रदर्शन**

न्यायाधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों को अवंटित जल का पुनरीक्षण अवार्ड घोषित होने के 45 वर्ष के पश्चात् अर्थात दिसम्बर 2024 के बाद किये जाने का प्रावधान है। इस कारण जल के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा करना आवश्यक है।

इसे ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास विभाग/नर्मदा नियंत्रण मण्डल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन के बाद आवंटित जल उपयोग से संबंधित दायित्वों का निर्धारण इस प्रकार किया -

| क्षेत्र | परियोजनाओं से उपयोग होने वाले जल की मात्रा | प्रस्तावित सिंचाई (लाख हेक्टेयर) | विभाग/एजेन्सी |
|---|---|---|---|
| बड़ी परियोजनाएं | 11.36 एम.ए.एफ. | 14.30 | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण |
| मध्यम परियोजनाएं | 2.88 एम.ए.एफ. | 6.70 | जल संसाधन विभाग |
| छोटी परियोजनाएं | 2.51 एम.ए.एफ. | 6.50 | जल संसाधन विभाग |
| औद्योगिक उपयोग | 0.743 एम.ए.एफ. | - | उद्योग विभाग |
| घरेलु/नगर पालिक उपयोग | 0.757 एम.ए.एफ. | - | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग |
| **योग** | **18.25 एम.ए.एफ.** | **27.50** | |

## 1.9 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच पूर्णकालिक सदस्य हैं। सदस्यों के अधीन विभिन्न कार्य इकाईयां निम्नानुसार कार्यरत हैं :-

**सदस्य (अभियांत्रिकी) -**

- सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
- कमाण्ड क्षेत्र विकास

**सदस्य (पुनर्वास) -**

- भू-अर्जन तथा पुनर्वास
- लोक निर्माण
- नगर तथा ग्राम निवेश
- आदिम जाति कल्याण
- समाज विज्ञान
- पुरातत्व
- विधि
- सांख्यिकी
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- जन-सम्पर्क

**सदस्य (पर्यावरण एवं वन) –**

- पर्यावरण तथा वन
- कृषि/कृषि-वानिकी/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार एवं कमाण्ड एरिया विकास
- मत्स्य विकास
- स्वास्थ्य
- वन्य जीव संरक्षण

**सदस्य (वित्त) –**

- वित्त/बजट/आडिट

**सदस्य (ऊर्जा) –**

- जल विद्युत ऊर्जा अभियांत्रिकी

## 1.10 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें इस प्रकार हैं -

**अभियांत्रिकी संरचनायें –**

| क्र. | संरचना | कार्य |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य अभियंता इं.सा. परियोजना (नहरें) सनावद | इंदिरा सागर परियोजना (नहर), पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना, अपरवेदा परियोजना, लोअर गोई परियोजना, कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना, मोरण्ड-गंजाल परियोजना, अपर बेदा आरबीसी।<br>**माईक्रो उद्‌वहन सिंचाई परियोजनाएं –** छैगांवमाखन, बिस्टान, छीपानेर, भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा, चौड़ी जामनिया, बलकवाड़ा, हरसूद, जावर, अम्बारोडिया। |
| 2. | मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर | मान, जोबट परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना का नहर कार्य तथा नर्मदा -क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना, नर्मदा-मालवा -गंभीर लिंक परियोजना,<br>**माईक्रो उद्‌वहन सिंचाई परियोजनाएं–** अलीराजपुर, बलवाड़ा, सिमरोल अम्बाचंदन।<br>**अन्य कार्य–** उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाईप लाइन। |
| 3. | मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन, जबलपुर | बरगी व्यपवर्तन परियोजना, बरबटी लिंक एवं ढीमरखेड़ा एमआईपी। |
| 4. | मुख्य अभियंता रा.अ.बा.लोधी सागर परियोजना जबलपुर | बरगी बांध तथा बायीं तट नहर का कार्य, हालोन, अपर नर्मदा परियोजना, दुधी, शक्कर एवं चिंकी माईक्रो इरिगेशन परियोजना। |
| 5. | मुख्य अभियंता ऊर्जा, भोपाल | जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित । |
| 6. | मुख्य अभियंता लोक निर्माण भोपाल | पुनर्वास स्थलों के सिविल निर्माण कार्य, परियोजना क्षेत्र में सड़कों/पुलों का निर्माण (इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना को छोड़कर)। |
| 7. | मुख्य अभियंता विद्युत/यांत्रिकीय भोपाल | विद्युत एवं यांत्रिकी से संबंधित कार्य। |

**पुनर्वास संरचना –**

| क्र. | संरचना | कार्य |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) इंदौर | सरदार सरोवर, मान, जोबट, अपरबेदा, लोअरगोई परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन एवं पुनर्वास का कार्य। इंदिरा सागर परियोजना तथा ओंकारेश्वर परियोजना के कमाण्ड एरिया विकास संबंधित। |

**पर्यावरण एवं वन संरचनायें –**

| क्र. | संरचना | कार्य |
|---|---|---|
| 1. | वन संरक्षक क्ष.व. एवं ज.क्षे.उ. भोपाल | बांध निर्माण से डूब में आने वाले वन क्षेत्रों के व्यपवर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं जल ग्रहण क्षेत्र उपचार संबंधित। |
| 2. | वन संरक्षण (वन्य-प्राणी) भोपाल | प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर के तहत होने वाले वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित। |
| 3. | संचालक जलग्रहण क्षेत्र उपचार भोपाल | इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र उपचार/कमाण्ड एरिया का विकास संबंधित। |

## 1.11 प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनाएं

प्राधिकरण स्तर पर सदस्य (अभियांत्रिकी), सदस्य (पुनर्वास), सदस्य (ऊर्जा), सदस्य (पर्यावरण एवं वन) एवं सदस्य (वित्त) के तहत प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा ही सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचना में मण्डल/संभागीय/उपसंभागीय एवं सहायक यंत्री (मैदानी) स्तर के कार्यालयों की संख्या निम्नानुसार है:-

| स. क्र. | संरचना का नाम एवं मुख्यालय | मण्डल स्तर के कार्यालयों की संख्या | संभागीय कार्यालयों की संख्या | | उपसंभाग कार्यालयों की संख्या | | सहायक यंत्री (मैदानी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य | गुणवत्ता | सामान्य | गुणवत्ता | सामान्य | गुणवत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर | 4 प्रकोष्ठ-1 मण्डल-3 | 12 | - | 5 | - | 35 | - |
| 2. | मुख्य अभियंता, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना, जबलपुर | 3 प्रकोष्ठ-1 मण्डल-2 | 9 | 1 | 20 | 6 | 13 | - |
| 3. | मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद | 4 | 14 | 1 | 9 | 4 | 35 | - |
| 4. | मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 7 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - |
| 6. | मुख्य अभियंता (वि./यां.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल | - | 3 | - | 12 | - | - | - |
| 7. | मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 8. | (पर्यावरण एवं वन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल | 2 | 5 | - | 9 | - | - | - |
| 9. | जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल | 1 | 3 | - | 9 | - | - | - |
| 10. | आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नघाविप्रा, इन्दौर | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 11. | अधीक्षण यंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) नघाविप्रा, भोपाल | 1 (लोक स्वा. यांत्रिकी प्रकोष्ठ) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | **योग –** | **18** | **66** | **3** | **88** | **12** | **90** | **0** |

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नियमित एवं कार्यभारित/आकस्मिक निधि के पदों की जानकारी**

| स. क्र. | कार्यालय का नाम | नियमित स्थापना के स्वीकृत पद | आकस्मिक/कार्यभारित स्थापना के स्वीकृत पद | कुल पद |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल | 409 | 19 | 428 |
| 2. | नर्मदा नियंत्रण मण्डल, भोपाल | 8 | 0 | 8 |
| 3. | शिकायत निवारण प्राधिकरण (स.स.प.) भोपाल | 15 | 0 | 15 |
| 4. | आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नघाविप्रा, इन्दौर | 758 | 0 | 758 |
| 5. | सदस्य (पर्यावरण एवं वन) नघाविप्रा भोपाल | 399 | 0 | 399 |
| अ. | संचालक, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इन्दौर | 140 | 0 | 140 |
| ब. | कृषि प्रकोष्ठ, नघाविप्रा, भोपाल | 361 | 0 | 361 |
| स. | मत्स्य प्रकोष्ठ, नघाविप्रा, भोपाल | 26 | 0 | 26 |
| 6. | अपर संचालक (नगर तथा ग्राम निवेश) नघाविप्रा, भोपाल | 23 | 0 | 23 |
| 7. | मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर | 783 | 97 | 880 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर | 854 | 285 | 1139 |
| 9. | मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद | 1080 | 281 | 1361 |
| अ. | प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नर्मदा नगर खण्डवा | 27 | 0 | 27 |
| 10. | मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर | 512 | 150 | 662 |
| 11. | मुख्य अभियंता (लोनिवि) नघाविप्रा, भोपाल | 234 | 42 | 276 |
| अ. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नघाविप्रा, भोपाल | 40 | 15 | 55 |
| 12. | मुख्य अभियंता (वि./यां.) नघाविप्रा, भोपाल | 215 | 451 | 666 |
| 13. | मुख्य अभियंता (ऊर्जा), नघाविप्रा, भोपाल | 113 | 6 | 119 |
| 14. | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नर्मदा नगर खण्डवा | 67 | 0 | 67 |
| | **योग –** | **6064** | **1346** | **7410** |

## 1.12 प्रशासन शाखा के कार्य :–

1. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अधीनस्थ संरचनाओं में विभिन्न स्वीकृत पदों पर, राज्य शासन के संबंधित विभागों जैसे - जल संसाधन/लोक निर्माण/राजस्व/वित्त/कृषि/वन एवं म.प्र. विद्युत मण्डल आदि से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होती हैं।
2. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प दिनांक 16/07/1985 की कंडिका-16 (ग) के अनुसार, सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यपालन यंत्री और उसके समकक्ष वेतनमान तक के अधिकारी/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, अन्तर्विभागीय स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति इत्यादि विशिष्ट मामलों में प्राधिकरण को राज्य शासन की शक्तियां प्राप्त हैं।
3. प्राधिकरण एवं अधीनस्थ संरचनाओं का प्रशासकीय कार्य मुख्यत: प्राधिकरण की प्रशासन शाखा द्वारा किया जाता है। इनमें मुख्यत: संरचनाओं के पुनर्गठन, निर्माण कार्यों के अनुरूप आवश्यक अमले की पूर्ति/पदस्थापना, अमले की पूर्ति हेतु शासन के संबंधित विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करना, प्राधिकरण की शाखाओं तथा शासन के विभागों से प्रशासकीय समन्वय स्थापित करना।
4. **पदोन्नति/विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही**

   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में भृत्य से दफ्तरी और सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 की पदोन्नति की कार्यवाही प्राधिकरण एवं अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं द्वारा की जाती है। वर्ष 2016-17 में माह अप्रैल 2016 तक श्रेणीवार निम्नानुसार पदोन्नति की गई।

   भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) से सहायक ग्रेड-3 (तृतीय श्रेणी) - 01

   सहायक ग्रेड-3 (तृतीय श्रेणी) से सहायक ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी) - 01

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर विभिन्न 12 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 30.04.2016 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे विचाराधीन उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में माह अप्रैल 2016 के पश्चात पदोन्नति के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वर्ष 2016-17 में शासकीय सेवकों के विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के कुल 38 प्रकरणों में से 10 प्रकरण निराकृत होकर शेष 28 पर कार्यवाही प्रचलन में।

# भाग - दो

## 2.0 परियोजनाएं

## 2.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं

आवंटित जल के उपयोग के लिये नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 1985 में गठित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा के 11.36 एमएएफ जल के उपयोग हेतु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न है। निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

## 2.2 निर्मित परियोजनाएं –

| स. क्र. | परियोजना का नाम | सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में) | जल विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावॉट) | टीप |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तवा परियोजना | 2,46,972 | 13.50 | प्राधिकरण गठन के पूर्व निर्मित/ जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में |
| 2. | बारना परियोजना | 55,000 | | |
| 3. | कोलार परियोजना | 45,087 | | |
| 4. | सुक्ता परियोजना | 14,200 | | |
| 5. | मटियारी परियोजना | 10,100 | | |
| 6. | मान परियोजना | 15,000 | | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित/संचालित |
| 7. | जोबट परियोजना | 9,850 | | |
| 8. | पुनासा उद्वहन | 35,000 | | |
| 9. | अपरबेदा | 9,900 | | |
| 10. | कठोरा उद्वहन | 6945 | | |
| 11. | इंदिरा सागर बांध तथा जल विद्युत उत्पादन इकाई | नहर प्रणाली निर्माणाधीन | 1,000+15 | विद्युत उत्पादन (1000 मे.वा. एवं 520 मे.वा.) एनएचडीसी के अधीन |
| 12. | ओंकारेश्वर बांध तथा जल विद्युत ईकाई | नहर प्रणाली निर्माणाधीन | 520 मेगावॉट | |
| 13. | रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध तथा जल विद्युत ईकाई | नहर प्रणाली निर्माणाधीन | 90+10 मेगावॉट | 90 मे.वा. विद्युत उत्पादन ऊर्जा विभाग के अधीन |

## 2.3 निर्मित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- **मान परियोजना**
  नर्मदा की सहायक नदी मान पर धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम जीराबाद में निर्मित इस परियोजना से सिंचाई सुविधा वर्ष 2006-07 से जारी है। सिंचाई क्षमता 15 हजार हेक्टेयर है। धार जिले की मनावर तथा गंधवानी तहसील के 53 गांवों में इस परियोजना से रूपांकित सिंचाई क्षमता से अधिक सिंचाई हो रही है।

- **शहीद चन्द्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना**
  नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर परियोजना बांध निर्मित है। बांध स्थल अलीराजपुर जिले के कुक्षी नगर से 24 कि.मी. दूर ग्राम वास्कल के निकट स्थित है। सिंचाई क्षमता 9 हजार 850 हेक्टेयर है। परियोजना से वर्ष 2007-08 से सिंचाई लाभ मिल रहा है। धार जिले की कुक्षी तहसील के 24 गांवों में परियोजना से रूपांकित सिंचाई क्षमता से अधिक सिंचाई हो रही है।

- **पुनासा उद्‌वहन परियोजना**

  इंदिरा सागर मुख्य नहर के शीर्ष से जल उद्वहन कर खण्डवा जिले में 35 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लिये पुनासा उदवहन सिंचाई परियोजना निर्मित है। परियोजना से रूपांकित क्षमता अनुसार सिंचाई हो रही है।

- **अपरबेदा परियोजना**

  नर्मदा की सहायक नदी बेदा पर खरगोन जिले में निर्मित परियोजना का मुख्य बांध, मुख्य नहर और वितरण प्रणाली का निर्माण पूर्ण हो चुका है। परियोजना की सिंचाई क्षमता 9 हजार 900 हेक्टेयर है। नहर प्रणाली का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं रूपांकित क्षमता से अधिक सिंचाई हो रही है।

- **कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना**

  कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना खरगोन ज़िले में मण्डलेश्वर के निकट स्थापित है। पयियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 6 हजार 945 हेक्टेयर है। परियोजना से कृषकों को सिंचाई सुविधा मिल रही है।

- **इंदिरा सागर बांध तथा जल विद्युत उत्पादन इकाई**

  इंदिरा सागर बांध और जल विद्युत संरचना का कार्य पूर्ण होकर 1000 मेगावाट क्षमता हेतु पावर हाऊस निर्मित है एवं विद्युत उत्पादन जारी है। 15 मेगावाट क्षमता का केनाल हेड पावर हाऊस भी क्रियाशील है।

- **ओंकारेश्वर बांध तथा जल विद्युत इकाई**

  परियोजना बांध और पावर हाउस का निर्माण पूर्ण होकर 520 मेगावाट क्षमता का पावर हाऊस निर्मित है एवं विद्युत उत्पादन जारी है।

- **रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांध एवं जल विद्युत इकाई**

  परियोजना बांध और विद्युत इकाई का कार्य पूर्ण होकर मुख्य पावर हाउस से 90 मेगावाट तथा नहर पावर हाउस से 10 मेगावाट क्षमता पर विद्युत उत्पादन जारी है।

## 2.4 निर्माणाधीन परियोजनाएं –

| स.क्र | परियोजना का नाम | सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर में) | लागत रु. करोड में |
|---|---|---|---|
| 1. | रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना नहरें | 1.57 | 2260.40 |
| 2. | बरगी व्यपवर्तन | 2.45 | 5127.22 |
| 3. | इंदिरा सागर परियोजना नहरें | 1.23 | 4604.52 |
| 4. | ओंकारेश्वर परियोजना नहरें | 1.47 | 4116.22 |
| 5. | शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना | 0.137 | 545.36 |
| 6. | हालोन परियोजना | 0.13 | 414.21 |
| 7. | नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना | 0.50 | 2187.21 |
| 8. | बलवाड़ा एमआईपी | 0.05 | 52.78 |
| 9. | छैगांवमाखन एमआईपी | 0.35 | 784.10 |
| 10. | बिस्टान एमआईपी | 0.22 | 515.10 |
| 11. | अलीराजपुर एमआईपी | 0.35 | 833.35 |

## 2.5 निर्माणाधीन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण–

- **रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना**

  परियोजना बांध का निर्माण पूर्ण है। मुख्य बाईं नहर और वितरण प्रणाली का निर्माण पूर्ण हो जाने पर जबलपुर तथा नरसिंहपुर जिलों में 1.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।

- **बरगी व्यपवर्तन**

  रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध की मुख्य दायीं नहर परियोजना बरगी व्यपवर्तन परियोजना है। मुख्य नहर की लंबाई 197.4 कि.मी., शाखा नहरों की लंबाई 255.160 कि.मी. तथा वितरण नहरों की लंबाई 2700 कि.मी. होगी। परियोजना पूर्ण होने पर जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना जिलों में 2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। वर्तमान में 104 कि.मी. मुख्य नहर पूर्ण है। कि.मी. 104 से 116 के बीच 12 कि.मी. लंबी टनल का निर्माण हो रहा है। दूसरे छोर से भी टनल बोरिंग के कार्य हेतु मशीन स्थापित कर ली गई है एवं कार्य जारी है वर्तमान में 1.64 कि.मी. तक टनल का निर्माण हो चुका है। वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 60 हजार 880 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।

बरगी डायवर्जन परियोजना के अंतर्गत टनल निर्माण कार्य का निरीक्षण करते श्री लाल सिंह आर्य राज्यमंत्री न.घा.वि.वि. स्वतंत्र प्रभार

## • इंदिरा सागर परियोजना नहरें

आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर।

इंदिरा सागर बांध से 243.893 कि.मी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण पूर्णता पर है। वितरण प्रणाली की नहरों का कार्य जारी है। मुख्य नहर और वितरण प्रणाली से खरगोन बडवानी और खण्डवा जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। मुख्य नहर में पूर्ण लम्बाई में जल प्रवाहित कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक मुख्य नहर से 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।

### खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई प्रणाली

इंदिरा सागर परियोजना की कुल रूपांकित 1.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के अन्तर्गत खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई प्रणाली निर्मित की जा रही हैं। इसके लिये मुख्य नहर से तीन चरणों में जल उद्वहन कर कुल 33 हजार 140 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित किया जान है। प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय चरण पूर्ण होकर परीक्षण स्तर पर है। परियोजना के इन दोनों चरण से खरगोन जिले की भीकनगांव, गोगांवा और खरगोन तहसीलों के 90 गांवो की 20 हजार 500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई दी जा रही है। तीसरे चरण का कार्य जारी है।

## • ओंकारेश्वर परियोजना नहरें

आदिवासी बहुल धार जिले में ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर में प्रवाहित नर्मदा जल।

ओंकारेश्वर बांध से नहर प्रणाली का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है। परियोजना की सम्पूर्ण नहर प्रणाली से खरगोन, धार और खण्डवा जिलों में 1.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। प्रथम बार वर्ष 2015-16 में बांयी और दायीं नहर में पूर्ण लंम्बाई में जल प्रवाहित किया गया। उद्‌वहन नहर में भी 15 कि.मी. तक जल प्रवाहित किया गया। वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 1 लाख 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया।

- **शहीद भीमा नायक सागर परियोजना (लोअर गोई परियोजना)**

**नर्मदा की सहायक गोई नदी पर निर्मित शहीद भीमा नायक सागर बांध।**

नर्मदा की सहायक गोई नदी पर बड़वानी जिला मुख्यालय से 21 कि.मी. दूर बांध निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बांध का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बांध तथा नहर प्रणाली पूर्ण हो जाने पर बड़वानी जिले के 46 गांवों की 13 हजार 760 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। क्रेस्ट लेवल तक जल भराव से कृषकों ने लगभग 4000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ लिया है।

- **हालोन परियोजना**

**नर्मदा की सहायक हालोन नदी पर मण्डला जिले में निर्माणाधीन हालोन परियोजना बांध।**

परियोजना के अंतर्गत मण्डला जिले में ह्लोन नदी पर बांध और नहर प्रणाली का निर्माण किया जायेगा। परियोजना के बांध का निर्माण कार्य जारी है। परियोजना से मण्डला जिले के 46 गांवों की 13 हजार 40 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। बांध के मुख्य कार्य जून 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

- **बरबटी लिंक सिंचाई योजना**

बरगी जलाशय से लगे हुये तथा दायीं तट मुख्य नहर से 3-4 कि.मी. दूर होते हुये भी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ग्राम पराटिया, डोंगरिया, बरबटी, परसिया, सोहड़ एवं पिपरधा सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। इस क्षेत्र में 850 हेक्टेयर सिंचाई पेयजल एवं निस्तार हेतु रुपये 14.04 करोड़ की योजना स्वीकृत है। इसके अन्तर्गत बरगी जलाशय से 1170 मीटर लंबी एप्रोच चैनल से लेवल 409 मी. पर पाइप द्वारा पानी लाकर एक वितरण कक्ष (डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर) में डाला जायेगा। इस वितरण कक्ष के लेवल 417 मीटर पर नहर बनाकर उक्त क्षेत्र को सिंचित किया जायेगा। योजना के निर्माण हेतु एजेंसी निर्धारित है।

- **बलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना**

खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ब्लवाड़ा में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये रुपये 52.78 करोड़ की बलवाड़ा माईक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना में नर्मदा क्षिप्रा सिहंस्थ लिंक योजना के पानी का उपयोग करते हुये 5000 हेक्टेयर भूमि में ड्रिप/स्प्रिंकलर माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

- **नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना**

**नर्मदा मालवा गंभीर लिंक योजना का निर्माणाधीन पम्पिंग स्टेशन।**

इन्दौर जिले की 3 एवं उज्जैन जिले की 4 तहसीलों के लिये 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई हेतु 15 क्यूमेक्स पानी ओंकारेश्वर की दांयी तट नहर से लिया जाएगा। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के निर्माण कार्य अन्तर्गत 4 पम्प हाउस एवं पाईप लेयिंग का कार्य प्रगति पर है।

- **छैगांवमाखन एमआईपी**

  योजना अन्तर्गत इंदिरा सागर मुख्य नहर की आर.डी. 38.80 कि.मी. से 12.46 क्यूमेक्स जल उद्‌वहन किया जाएगा। योजना से खण्डवा जिले की खण्डवा तहसील की 31 हजार तथा पंधाना तहसील की 4 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। योजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **बिस्टान एमआईपी**

  योजना अन्तर्गत इंदिरा सागर मुख्य नहर की आर.डी. 101 कि.मी. से जल उद्‌वहन किया जाएगा। योजना से 22000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। योजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **अलीराजपुर एमआईपी**

  योजना अन्तर्गत अलीराजपुर तहसील में ह्थनी नदी से 10 क्यूमेक्स जल उद्‌वहन किया जाएगा। योजना से अलीराजपुर जिले की 5 तहसील सोंधवा, अलीराजपुर, जोबट, भाभरा, कटटीवाड़ा की 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। योजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **अन्य निर्माणाधीन परियोजनाएँ**

  **सरदार सरोवर परियोजना**

  मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की भागीदारी से सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना बांध और पावर हाउस का निर्माण पूर्ण हो गया है। बांध पर गेट स्थापित करने का कार्य गुजरात द्वारा किया जा रहा है। परियोजना से मध्यप्रदेश को 57 प्रतिशत विद्युत अंश उपलब्ध हो रहा है।

## 2.6 स्वीकृत परियोजनाएं –

| स. क्र. | योजना का नाम | अनुमानित लागत करोड़ में | प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है. में (लगभग) | लाभान्वित जिला |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छीपानेर एमआईपी | 516.11 | 35000 | सिहोर, देवास |
| 2. | भीकनगांव-बिन्जवाड़ा एमआईपी | 745.00 | 50000 | खरगोन, खण्डवा |
| 3. | चौड़ी जामनिया एमआईपी | 68.36 | 4000 | खरगोन |
| 4. | बलकवाड़ा एमआईपी | 123.96 | 9000 | खरगोन |
| 5. | हरसूद एमआईपी | 113.41 | 5640 | खण्डवा |
| 6. | जावर एमआईपी | 466.91 | 26000 | खण्डवा |
| 7. | अम्बा रोडिया एमआईपी | 138.29 | 9915 | खरगोन |
| 8. | सिमरोल अम्बाचंदन एमआईपी | 59.13 | 4000 | इन्दौर |
| 9. | अपर बेदा दांयी तट नहर | 10.60 | 1829 | खरगौन |
| 10. | उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाईप लाइन | 130.00 | 0 | देवास, उज्जैन पेय जल एवं औद्योगिक जल प्रदाय हेतु |
| 11. | ढीमरखेडा एमआईपी | 256.16 | 15000 | कटनी |
| 12. | चिंकी माईक्रो इरिगेशन परियोजना | 1494.64 | 104134 | नरसिंहपुर, रायसेन |

## 2.7 प्रस्तावित परियोजनायें

| स. क्र. | योजना का नाम | अनुमानित लागत करोड़ में | प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है. में (लगभग) | लाभान्वित जिले |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शक्कर | 1785 | 60000 | नरसिंहपुर |
| 2. | दूधी | 1500 | 50600 | नरसिंहपुर, होशंगाबाद |
| 3. | मोरण्ड गंजाल | 2006 | 52205 | होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा |
| 4. | नर्मदा मालवा लिंक उद्वहन परियोजनाएं (कालीसिंध, पार्वती, क्षिप्रा, गंभीर पार्ट-2) | 26000 | 650000 | इन्दौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास, शाजापुर, आगर, राजगढ़, गुना |

# भाग - तीन

## 3.0 बजट

## 3.1 वर्ष 2016-17 के लिये उपलब्ध बजट प्रावधान एवं परियोजनावार व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए आयोजना मद में अनुपूरक अनुमान सहित रु. 2419.60 करोड़ एवं आयोजनात्तर मद में 68.02 करोड़ कुल रु. 2487.62 करोड़ बजट प्रावधान रखा गया था। इसके अतिरिक्त नगरीय प्रशासन विभाग से राशि रु. 3.40 करोड़ प्राप्त हुए थे। माह जनवरी-2017 तक विभिन्न परियोजनाओं पर रु. 1392.21 करोड़ व्यय हो चुका है। विवरण निम्नानुसार है-

(राशि रु. करोड़ में)

| स.क्र. | परियोजना का नाम | बजट प्रावधान 2016-17 (अनुपूरक अनुमान एवं पुनर्विनियोजन सहित) | व्यय 2016-17 जनवरी 17 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रा.अ.ब.लो.स. परियोजना | 37.60 | 24.51 |
| 2. | मान परियोजना | 0.91 | 0.46 |
| 3. | जोबट परियोजना | 0.83 | 0.13 |
| 4. | इंदिरा सागर परियोजना | 306.86 | 163.97 |
| 5. | ओंकारेश्वर परियोजना | 238.59 | 125.56 |
| 6. | अपर बेदा परियोजना | 13.03 | 3.76 |
| 7. | पुनासा उद्वहन | 5.00 | 2.81 |
| 8. | बरगी व्यपवर्तन परियोजना | 193.69 | 37.47 |
| 9. | अपर नर्मदा योजना | 2.81 | 0.01 |
| 10. | हालोन परियोजना | 48.78 | 41.06 |
| 11. | लोअर गोई परियोजना | 46.70 | 16.76 |
| 12. | नर्मदा मालवा लिंक | 730.58 | 529.43 |
| 13. | सिंहाडा उद्वहन | 1.00 | 0.00 |
| 14. | जोबट विस्तार | 30.00 | 0.00 |
| 15. | अलिराजपुर उद्वहन | 30.00 | 0.00 |
| 16. | बलवाड़ा माइक्रो इरिगेशन (नवीन) | 32.78 | 0.00 |
| 17. | चिंकी माइक्रो सिंचाई (नवीन) | 3.00 | 0.01 |
| 18. | नर्मदा काली सिंध परि. (नवीन) | 1.00 | 0.00 |
| 19. | छेगांवमाखन उद्वहन सिंचाई योजना (नवीन) | 27.10 | 0.00 |
| 20. | बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना (नवीन) | 18.10 | 0.00 |
| 21. | बलकवाड़ा उद्वहन (नवीन) | 0.00 | 0.00 |
| 22. | चोड़ी जमानिया उद्वहन | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | भीकनगांव बिन्जलवाड़ा | 0.00 | 0.00 |
| 24. | हरसूद उद्वहन | 0.00 | 0.00 |
| 25. | अम्बा रोडिया उद्वहन | 0.00 | 0.00 |
| 26. | नागलवाड़ी उद्वहन | 0.00 | 0.00 |
| 27. | छीपानेर माइक्रो उद्वहन | 0.00 | 0.00 |
| 28. | जावर उद्वहन | 0.00 | 0.00 |
| 29. | सिमरोल-अम्बा चंदन माइक्रो | 0.00 | 0.00 |
| 30. | उज्जैनी देवास उज्जैन पाईप लाइन | 0.00 | 0.00 |
| 31. | सी.ए.डी. प्लान (इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट, अपर बेदा, बरगी व्यपवर्तन, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना) | 115.93 | 33.27 |
| | | **1884.29** | **979.21** |
| 32. | अन्य कार्य सिंचाई, स.स.परि.(कठोरा एलआईएस सहित) ऊर्जा, | 234.11 | 145.76 |
| 33. | आईटी एवं स्थापना | 301.20 | 218.02 |
| | **योग** | **2419.60** | **1342.99** |
| | **Non Plan (आयोजनेत्तर)** | | |
| 34. | आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधानित राशि | 68.02 | 45.82 |
| | **योग (आयोजना एवं आयोजनेत्तर)** | **2487.62** | **1388.81** |
| 35. | सिंहस्थ मेला 2016 (नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त) | 0.00 | 3.40 |
| | **कुल योग** | **2487.62** | **1392.21** |

### 3.2 मदवार बजट तथा व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नर्मदा घाटी विकास विभाग के में किये गये व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है-

**(राशि रुपये लाख में)**

| स. क्र. | परियोजना का नाम | बजट प्रावधान 2016-17 (अनुपूरक अनुमान सहित) | कुल व्यय (माह-अप्रैल से जनवरी 2017 तक) वेबसाइट अनुसार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मछली उद्योग | 0.00 | 0.00 |
| 2. | इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-दो | 8141.66 | 8141.65 |
| 3. | इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान | 2834.00 | 997.00 |
| 4. | ओंकारेश्वर परि. का हिस्सा एनएचडीसी को भुगतान | 250.00 | 250.00 |
| 5. | ओंकारेश्वर परि. (कमाण्ड क्षेत्र विकास) | 3250.00 | 1500.00 |
| | ओंकारेश्वर परि. | 3500.00 | 3496.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | अपर वेदा परियोजना | 1303.41 | 376.09 |
| | अपरवेदा कमॉण्ड क्षेत्र विकास | 200.00 | 0.00 |
| | अपर वेदा परियोजना (स्थापना) | 138.41 | 85.12 |
| | **योग अपर वेदा परियोजना** | **1641.82** | **461.21** |
| 7. | लोवर गोई परियोजना | 4669.74 | 1676.19 |
| | लोवर गोई परियोजना (स्थापना) | 277.60 | 214.82 |
| | **योग लोवर गोई परियोजना** | **4947.34** | **1891.01** |
| 8. | डिक्रीधन | 5.00 | 0.00 |
| 9. | जोबट विस्तार | 3000.00 | 0.00 |
| 10. | अलिराजपुर उद्वहन | 3000.00 | 0.00 |
| 11. | बलवाडा माइक्रो सिंचाई योजना | 3278.00 | 0.00 |
| | **योग 41/4700** | **33847.82** | **16737.45** |
| 12. | मान परियोजना (कमाण्ड क्षेत्र विकास) | 10.00 | 0.00 |
| | मान परियोजना | 90.75 | 45.88 |
| | मान परियोजना (स्थापना) | 281.86 | 231.13 |
| | **योग मान परियोजना** | **382.61** | **277.01** |
| 13. | जोबट परियोजना (कमाण्ड क्षेत्र विकास) | 10.00 | 0.00 |
| | जोबट परियोजना | 83.01 | 13.36 |
| | जोबट परियोजना (स्थापना) | 372.34 | 241.19 |
| | **योग जोबट परियोजना** | **465.35** | **254.55** |
| 14. | हालोन परियोजना | 4849.32 | 4100.00 |
| | हालोन परियोजना (स्थापना) | 287.40 | 142.94 |
| | | **5136.72** | **4242.94** |
| 15. | अपर नर्मदा परियोजना | 281.49 | 1.00 |
| | अपर नर्मदा परियोजना (स्थापना) | 275.67 | 146.32 |
| | | **557.16** | **147.32** |
| 16. | नर्मदा कछार के विकास हेतु | 100.00 | 0.00 |
| | **योग 41/4701** | **6641.84** | **4921.82** |
| 17. | सरदार सरोवर परियोजना | 10.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **योग 41/4801** | **10.00** | **0.00** |
| | **योग 41** | **40499.66** | **21659.27** |
| 18. | बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना | 4380.00 | 2633.79 |
| 19. | इं.सा.प.यूनिट-।। | 4220.00 | 3387.05 |
| | इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान | 275.00 | 50.00 |
| 20. | ओंकारेश्वर परि. (कमाण्ड क्षेत्र विकास) | 3625.00 | 500.00 |
| | ओंकारेश्वर परियोजना | 2000.00 | 1999.88 |
| | **योग 64/4700** | **14500.00** | **8570.72** |
| 21. | हालोन परियोजना | 30.00 | 5.67 |
| 22. | नर्मदा कछार के विकास हेतु | 10.00 | 0.00 |
| | **योग 64/4701** | **40.00** | **5.67** |
| 23. | सरदार सरोवर परियोजना | 2.21 | 0.00 |
| | **योग 64/4801** | **2.21** | **0.00** |
| | **योग 64** | **14542.21** | **8576.39** |
| 24. | विशेष पुलिस | 1120.65 | 683.20 |
| 25. | मछली उद्योग | 3.10 | 0.63 |
| 26. | RKVY | 1060.06 | 593.18 |
| 27. | कमाण्ड क्षेत्र विकास (बी.डी.पी.) | 100.00 | 0.00 |
| | बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना | 14989.00 | 1113.36 |
| | बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना(स्था.) | 3196.30 | 2439.25 |
| | **योग बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना** | **18285.30** | **3552.61** |
| 28. | इं.सा.प.यूनिट-।। | 18324.00 | 4868.55 |
| | | 5585.09 | 3686.92 |
| | इं.सा.प.यूनिट-।। (स्थापना) | 285.42 | 236.64 |
| | | 238.05 | 159.81 |
| | | 140.31 | 89.49 |
| 29. | इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान | 1189.00 | 280.00 |
| | **योग इं.सा.प.यूनिट-।।** | **25761.87** | **9321.41** |
| 30. | सूचना प्रौद्योगिकी | 49.60 | 28.33 |
| 31. | डिक्रीधन (स्थापना) | 10.00 | 8.24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32. | गारलैडिंग योजना | 0.10 | 0.00 |
| | गारलैडिंग योजना (स्थापना) | 65.40 | 25.55 |
| | **योग गारलैडिंग योजना** | **65.50** | **25.55** |
| 33. | औंकारेश्वर परि. | 18359.00 | 7059.52 |
| | औंकारेश्वर परि. (स्थापना) | 1963.08 | 1651.16 |
| | **योग औंकारेश्वर परि.** | **20322.08** | **8710.68** |
| 34. | रा.अ.बा.लो.सा.परि. सी.ए.डी. प्लान | 100.00 | 0.00 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। | 704.65 | 237.07 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना) | 2190.18 | 1722.25 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना) | 226.07 | 163.31 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना) | 458.24 | 380.96 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना) | 3280.60 | 2547.41 |
| | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। | 3055.46 | 2214.46 |
| | **योग रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।** | **10015.20** | **7265.46** |
| 35. | नर्मदा मालवा लिंक योजना | 73057.61 | 52942.59 |
| 36. | चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना | 300.00 | 0.69 |
| 37. | सर्वे तथा निरिक्षण (स्थापना) | 176.92 | 144.40 |
| 38. | शेयर मछेरेवा | 40.00 | 0.00 |
| 39. | दूधी परियोजना | 10.00 | 6.86 |
| 40. | मोरान्ड गंजाल | 100.00 | 0.00 |
| 41. | अटेरिया परियोजना | 15.00 | 0.00 |
| 42. | अपर बुढ़नेर | 50.00 | 0.00 |
| 43. | नदियों को जोड़ने संबंधित सर्वे कार्य | 5.00 | 0.00 |
| 44. | पुनासा उद्वहन | 500.00 | 281.38 |
| 45. | इ.सा.प.यूनिट । | 2500.00 | 2500.00 |
| 46. | सिंहाडा उद्वहन योजना | 100.00 | 0.00 |
| 47. | काली सिंध लिंक योजना | 100.00 | 0.00 |
| 48. | छेगांवमाखन उद्वहन सिंचाई योजना | 2710.00 | 0.00 |
| 49. | बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना | 1810.00 | 0.00 |
| | **योग 48/4700** | **155984.08** | **84788.20** |

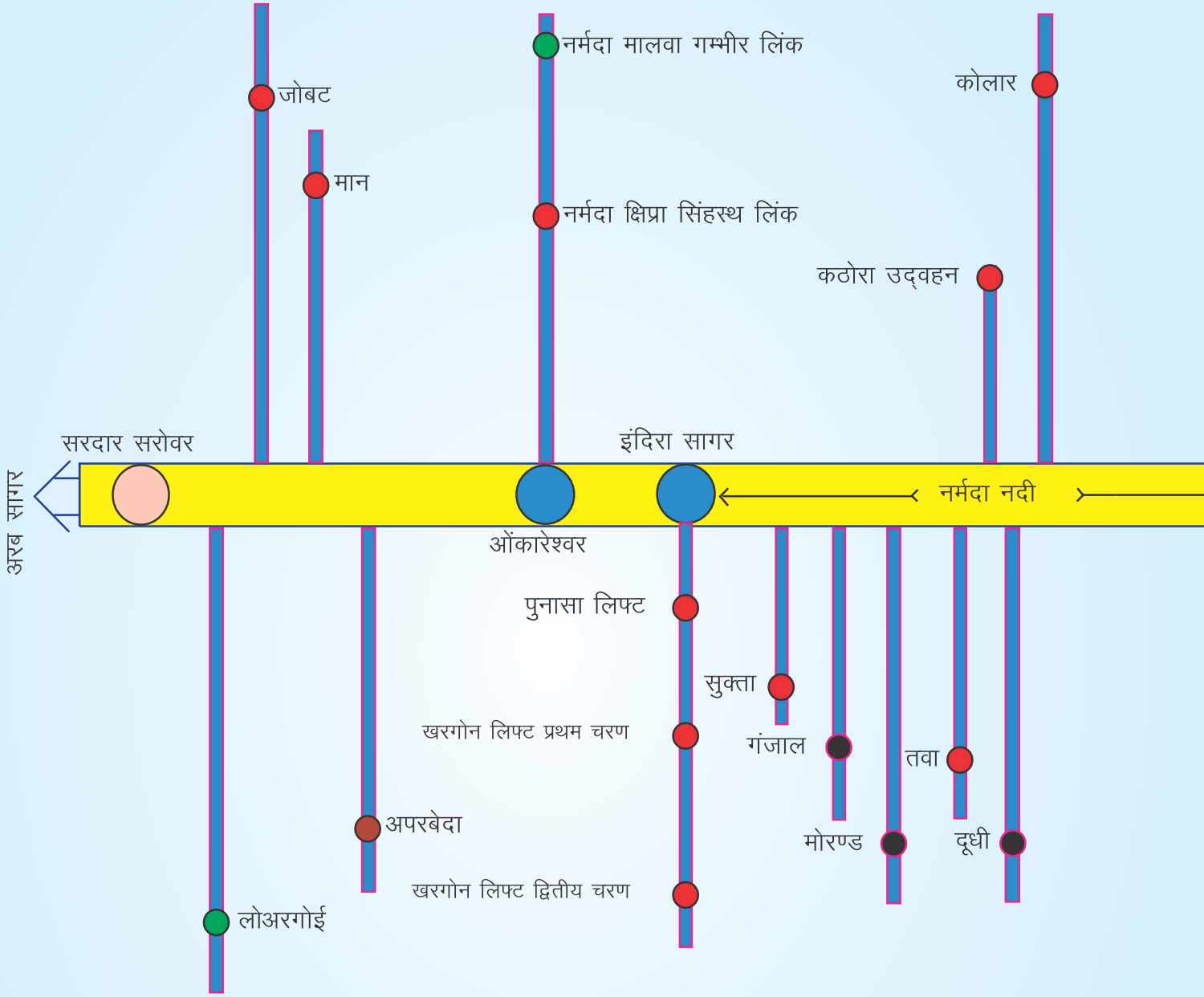


## नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बांध परियोजनाओं

- पूर्ण निर्मित सिंचाई परियोजनायें।
- बांध पूर्ण बिजली उत्पादन आरम्भ/नहर निर्माण प्रगति पर/सिंचाई सुविधा आरम्भ।
- परियोजना निर्माणाधीन।
- गुजरात में बांध पूर्ण/गेट स्थापना कार्य जारी/बिजली उत्पादन जारी।
- प्रस्तावित परियोजनायें।

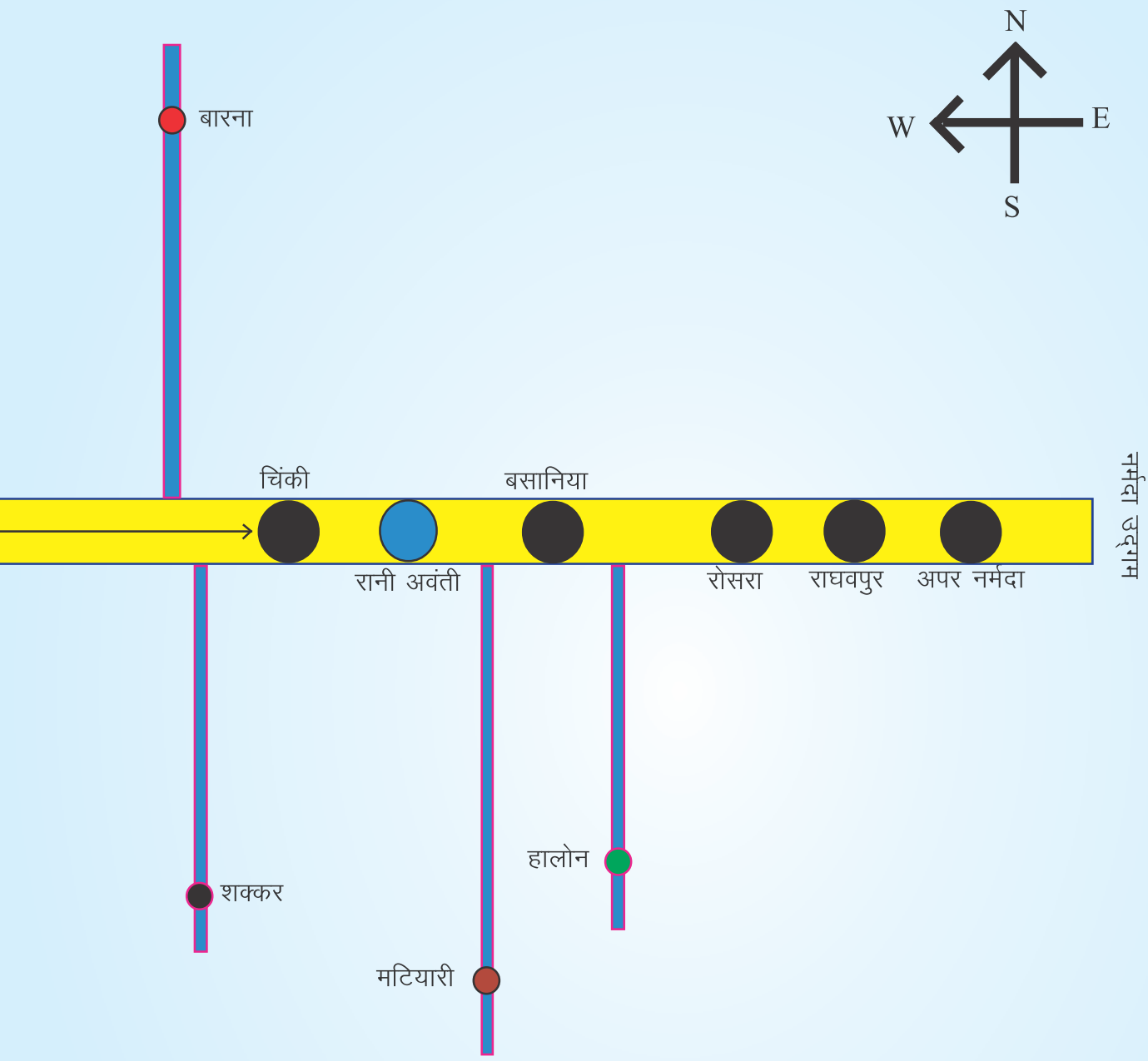


## का सांकेतिक प्रदर्शन (जनवरी 2017 की स्थिति)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50. | नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई | 545.50 | 0.00 |
| | **योग 48/4701** | **545.50** | **0.00** |
| 51. | इ.सा.प.कै.है.पा.हा. (स्थापना) | 23.87 | 20.87 |
| | **योग इ.सा.प.कै.है.पा.हा.** | **23.87** | **20.87** |
| 52. | इ.सा.प.यूनिट । का हिस्सा छम्क्ब् | 2700.00 | 2700.00 |
| 52. | बरगी कै.है.पा.हा. (स्थापना) | 14.99 | 6.67 |
| 53. | औं.नहर शीर्ष वि.गृ. | 1.00 | 0.00 |
| | **योग बरगी कै.है.पा.हा.** | **15.99** | **6.67** |
| 54. | सरदार सरोवर परि. | 200.00 | 0.00 |
| 55. | केचमेट एरिया | 1358.09 | 120.39 |
| | केचमेट एरिया (स्थापना) | 979.88 | 700.03 |
| | केचमेट एरिया (स्थापना) | 380.91 | 177.97 |
| | **योग केचमेट एरिया** | **2718.88** | **998.39** |
| 56. | ओंकारेश्वर परियोजना | 4751.50 | 1435.47 |
| 57. | समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य | 85.60 | 0.00 |
| 58. | नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अंशदान | 700.00 | 700.00 |
| 59. | सर्वे तथा शोध (स्थापना) | 354.96 | 212.77 |
| | | **2650.14** | **1554.14** |
| 60. | सरदार सरोवर परियोजना | 8372.20 | 6243.95 |
| | सरदार सरोवर परियोजना (स्था) | 4947.11 | 3689.73 |
| | **योग सरदार सरोवर परियोजना** | **13319.31** | **9933.68** |
| 61. | स.स.निर्माण सलाहाकार समिति राज्य का हिस्सा | 25.00 | 25.00 |
| 62. | सर्वे तथा शोध (स्थापना) | 408.60 | 259.47 |
| | सूचना प्रौद्योगिकी | 240.94 | 151.23 |
| | **योग सर्वे तथा शोध** | **674.54** | **435.70** |
| 63. | डिक्रीधन (स्थापना) | 10.00 | 0.00 |
| | **योग 48/4801** | **28204.79** | **17997.69** |
| | **योग 48** | **186918.18** | **104062.90** |
| | **योग प्लान मद (416448)** | **241960.05** | **134298.56** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64. | सिंहस्थ मेला 2016 | | 340.41 |
| | **महायोग प्लान मद (41644871)** | **241960.05** | **134638.97** |
| | **नॉन प्लान** | | |
| 1. | बरगी ओ.एण्ड एम. | 150.00 | 51.59 |
| 2. | स.स.प.ओ.एण्ड एम. | 500.00 | 500.00 |
| 3. | औंकारेश्वर परि. | 4900.00 | 3150.24 |
| 4. | रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । | 100.00 | 98.76 |
| | | 10.00 | 9.97 |
| 5. | पुनासा उद्वहन | 446.26 | 331.31 |
| 6. | मान परियोजना | 200.00 | 95.49 |
| 7. | जोबट परियोजना | 150.00 | 149.89 |
| 8. | इ.सा.प.कै.है.पा.हा. | 200.00 | 169.93 |
| 9. | अपर बेदा परियोजना | 122.50 | 23.72 |
| | | 18.50 | 1.52 |
| | | 5.00 | 0.00 |
| | **योग नॉन प्लान** | **6802.26** | **4582.42** |
| | **महायोग (प्लान एवं नॉन प्लान)** | **248762.31** | **139221.39** |

# भाग - चार

## 4.0 परियोजनाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य

### 4.1 पुनर्वास

इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान तथा जोबट परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास, प्राधिकरण की पुनर्वास नीति 1989 (31.05.2006 तक संशोधित) के अनुसार किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्वास नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशों, समय-समय पर जारी न्यायालयीन निर्देशों और पुनर्वास नीति 1989 31.05.2006 तक संशोधित) के अनुसार किया गया है। लोअरगोई और अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 तथा उसमें प्राधिकरण की ओर से सम्मिलित लाभकारी प्रावधानों को जोडकर बनाई गई पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार किया जा रहा है।

अंतर्राज्यीय सरदार सरोवार परियोजना में संशोधित बेक वाटर लेवल के कारण मध्यप्रदेश के संभावित डूब क्षेत्र में कमी हुई है। अब डूब प्रभावित ग्राम 176 तथा परिवारों की संख्या 21 हजार 808 हैं। बांध 121.92 मीटर निर्मित हो जाने और इस स्तर तक जल भराव से 10 हजार 466 परिवार पूर्व में ही विस्थापित हो चुके हैं। इन विस्थापित परिवारों में से 5 हजार 535 परिवार गुजरात में बसने का विकल्प चुनकर गुजरात में बस गये हैं।

बांध की 121.92 मीटर से 138.68 मीटर (पूर्ण ऊंचाई) के बीच प्रभावित 11 हजार 342 परिवारों को भी पुनर्वास के समस्त लाभ दे दिये गये हैं। अधिकांश परिवार अभी अपने मूल स्थान पर निवासरत हैं। न्यायाधिकरण अवार्ड के प्रावधान के अनुसार डूब प्रभावित परिवार वास्तविक जल भराव होने के 6 माह पूर्व तक अपने मूल स्थान पर निवासरत रहकर अर्जित संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि, पुनर्वास अनुदान, विशेष पुनर्वास अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति अनुदान, परिवहन अनुदान तथा आवासीय भूखण्ड के बदले नगद राशि मद में 74909.40 लाख रुपये का वितरण किया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत 88 पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कर उन्नयन संबंधी कार्य हेतु समिति गठित की गई। समिति द्वारा पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कर उपयुक्त पाये गये पुनर्वास स्थलों के रखरखाव/मरम्मत/उन्नयन कार्यों के प्रस्तावों पर प्राधिकरण की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इंदिरा सागर परियोजना से 44 हजार 631 परिवार प्रभावित हैं। इन परिवारों का पुनर्वास करते हुये 1550.04 करोड़ रुपये का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया है।

ओंकारेश्वर परियोजना से 6 हजार 329 परिवार प्रभावित है। इन परिवारों का पुनर्वास करते हुये 153.51 करोड़ रुपये का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर परियोजना प्रभावितों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित अतिरिक्त विशेष पैकेज के रूप में 21 दिसम्बर 2016 तक रु. 182.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

मान परियोजना से 993 परिवार, शहीद चन्द्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना से 2019 परिवार तथा अपर वेदा परियोजना से 1582 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है। लोअरगोई परियोजना से प्रभावित 2774 परिवारों के पुनर्वास की कार्यवाही प्रचलन में है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिये 88, इंदिरा सागर परियोजना के लिये 34, ओंकारेश्वर परियोजना के लिये 12, मान परियोजना के लिये 4, जोबट परियोजना के लिये 1, अपर वेदा परियोजना के लिये 2 तथा लोअरगोई परियोजना के लिये 1 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं।

लोअरगोई परियोजना के अन्तर्गत पॉचपुला उत्तर (नागाल्या-फाल्या) की डायवर्सन वेड एवं पुलियाओं के निर्माण कार्य हेतु एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तथा अपर वेदा परियोजना अन्तर्गत शिवना-आभापुरी

परिवर्तित मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्ण हो गया है

हालोन परियोजना के अंतर्गत योजना का डूब क्षेत्र 1680.11 हेक्टेयर एवं 1577 परिवार प्रभावित होंगे। निर्माण के फलस्वरूप 15 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित होंगे।

## 4.2 पर्यावरण

परियोजना के निर्माण से पर्यावरण की संभवित क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय किये गये है। सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित 2731.00 हेक्टयर वन भूमि के बदले 8737 हेक्टयर नया वन रोपण किया गया है। इंदिरा सागर जलाशय की डूब से प्रभावित 41460.93 हेक्टयर क्षेत्र के बदले 81435 हेक्टयर वृक्षारोपण एवं ओंकारेश्वर परियोजना जलाशय की डूब से प्रभावित 5829.85 हेक्टयर वन क्षेत्र के बदले 11660 हेक्टयर वृक्षारोपण किया गया।

## 4.3 वन्य प्राणी संरक्षण

परियोजना की डूब से प्रभावित वन्यप्राणियों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रबंध किये गये है। इस संबंध में कराये गये अध्ययन की अनुशंसाओं के अनुसार इन्दिरा सागर/ओंकारेश्वर परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण के लिये खण्डवा तथा देवास जिले में 645.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन संबंधी कार्य किये जा रहे है। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक 5 वर्षों की अवधि हेतु राशि 7817.89 लाख की प्रस्तावित कार्य योजना अनुमोदित की गई है।

वन्यप्राणियों के पेयजल हेतु पानी की उपलब्धता स्टापडेम/एनीकट निर्माण/डाईक निर्माण तथा चेकडेम निर्मित किये गये है। संरक्षित क्षेत्र में शाकाहारी वन्यप्राणियों के चारे हेतु चारागाह विकास कार्य किये गये है। वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु गश्त के लिये दुर्गम एवं पहुंचविहिन क्षेत्रों में पहुंचमार्ग, उन्नयन कार्य, संचार तंत्र अंतर्गत वायरलेस टॉवर, पैट्रोलिंग केम्प, चेकपोस्ट की स्थापना की गई है। शेष कार्य प्रगति पर है।

## 4.4 मत्स्य पालन

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित परियोजनाओं के जलाशय से वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 अंत तक निम्नानुसार मत्स्योत्पादन/राजस्व प्राप्त हुआ है।

| स.क्र. | परियोजना का नाम | औसत जल क्षेत्र (हेक्टेयर) | मत्स्योत्पादन (टन में) | राजस्व की प्राप्ति (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इंदिरा सागर | 59029.00 | 2772.552 | 747.760 |
| 2 | रानी अवंती बाई लोधी सागर बरगी | 16648.50 | 165.612 | 86.320 |
| 3 | ओंकारेश्वर | 8000.00 | 33.128 | 28.73 |
| 4 | मान जलाशय | 1014.37 | 2.023 | 03.68 |
| | **योग –** | **84691.870** | **2973.315** | **866.490** |

## 4.5 जल ग्रहण क्षेत्र उपचार

नर्मदा बेसिन में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सीधे एवं स्वतंत्र जन निकासी वाले उपजलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य हेतु कार्ययोजनायें तैयार की गई है। दिसम्बर 2016 की स्थिति में सरदार सरोवर परियोजन अन्तर्गत 3 लाख 93 हजार 944 हेक्टेयर क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य किया गया है। इन्दिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 1 लाख 04 हजार 023 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत 45 हजार 201 हेक्टेयर क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य किया गया है। शेष निर्माणाधीन परियाजनाओं में उपचार कार्य किया जाना है।

## 4.6 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं में वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। माह दिसम्बर 2016 तक कुल 116170 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 24000 हेक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित है, कार्य जारी। कमाण्ड क्षेत्र विकास की परियोजनावार स्थिति निम्नानुसार है-

**(ईकाई हेक्टे. में)**

| स. क्र. | परियोजना का नाम | रूपांकित सिंचाई क्षमता | दिसम्बर 2016 तक विकसित कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टे. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | रानी अवंतीबाई लोधी सागर | 1,57,000 | 56216 |
| 2. | बरगी व्यपवर्तन | 2,45,000 | 1500 |
| 3 | मान | 15,000 | 1396 |
| 4 | जोबट | 9,850 | 1848 |
| 5 | इंदिरा सागर | 1,23,200 | 36610 |
| 6 | ओंकारेश्वर | 1,46,800 | 12000 |
| 7 | अपर बेदा | 9,900 | 6600 |
| | **योग-** | **7,06,750** | **116170** |

## 4.7 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में 240 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया जाकर गठित जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों, टी.सी. सदस्यों एवं सक्षम प्राधिकारियों का प्रक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण वाल्मी भोपाल द्वारा दिया जा चुका हैं। गठित जल उपभोक्ता संथाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र. | परियोजना का नाम | जिला | रूपांकित सिंचाई क्षमता | प्रस्तावित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या | गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना | जबलपुर | 60000 | 30 | 30 |
| | | नरसिंहपुर | 97000 | 60 | 60 |
| | | **योग** | **157000** | **90** | **90** |
| 2. | बरगी व्यपवर्तन परियोजना | जबलपुर, सतना एवं कटनी | 245000 | 163 | 27 |
| | | **योग** | **245000** | **163** | **27** |
| 3. | इंदिरा सागर परियोजना | खण्डवा | 19200 | 11 | 11 |
| | | खरगोन | 66000 | 43 | 19 |
| | | बड़वानी | 38000 | 24 | 2 |
| | | **योग** | **123200** | **78** | **32** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | अपरवेदा परियोजना | खरगोन | 9900 | 9 | 9 |
| | | **योग** | **9900** | **9** | **9** |
| 5. | पुनासा उद्वहन | खण्डवा | 35000 | 18 | 10 |
| | | **योग** | **35000** | **18** | **10** |
| 6. | ओंकारेश्वर परियोजना | खण्डवा | 1795 | 30 | 1 |
| | | खरगोन | 66323 | 23 | 23 |
| | | धार | 78682 | 28 | 28 |
| | | **योग** | **146800** | **81** | **52** |
| 7. | मान परियोजना | धार | 15000 | 10 | 10 |
| | | **योग** | **15000** | **10** | **10** |
| 8. | जोबट परियोजना | धार | 9850 | 6 | 6 |
| | | **योग** | **9850** | **6** | **6** |
| 9. | कठोरा उद्वहन परियोजना | खरगोन | 6945 | 4 | 4 |
| | | **योग** | **6945** | **4** | **4** |
| 10. | लोअरगोई परियोजना | बड़वानी | 13700 | 7 | 0 |
| | | **योग** | **13700** | **7** | **0** |
| 11. | हालोन परियोजना | मण्डला | 13040 | 10 | 0 |
| | | **योग** | **13040** | **10** | **0** |
| 12. | अपर नर्मदा परियोजना | डिंडोरी | 18615 | 13 | 0 |
| | | **योग** | **18615** | **13** | **0** |
| | | **महायोग** | **7,94,050** | **489** | **240** |

## 4.8 स्वास्थ्य कार्ययोजना

परियोजनाओं की जन स्वास्थ्य संबंधी शर्तों के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा बेसिन के अंतर्गत वृहद परियोजनाओं और अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना के क्षेत्र में बसी मध्यप्रदेश की आबादी के लिये स्वास्थ्य कार्ययोजनायें तैयार की गई है। इन स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं का मुख्य लक्ष्य परियोजना क्षेत्र में बसी आबादी को जलजनित तथा कीटजनित रोगों से बचाना और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR) नई दिल्ली के साथ दिनांक 10 नबम्वर 2009 को किये गये अनुबंध (MOU) की अवधि जून 2016 पूर्ण होने के उपरांत 24 अगस्त 2016 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR) नई दिल्ली के साथ पुन: अनुबंध (MOU) किया गया है जिसकी अवधि जून 2021 तक है।

स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं के अतंर्गत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने भोपाल, इन्दौर एवं सनावद में तीन क्षेत्रिय अनुसंधान इकाईया स्थापित की है। इन इकाईयों में जल जनित कीटजनित रोगों के सबंध में विशेषज्ञ अमला और आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। इन इकाईयों द्वारा सभी परियोजना क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया, जेई, फाईलेरिया आदि रोगो का कारण बनने वाले मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन ओर फैलाव को रोकने के उपायों

के साथ आबादी के रक्त नमूने संग्रहित करने, उनका परीक्षण करने ओर आवश्यक होने पर उपचार संबंधी व्यवस्था की जाती है।

आबादी में जलजनित ओर कीटजनित रोगों से सावधान रहने और परिवेश स्वच्छ रखने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की पहल भी की जाती है। इसके लिये परियोजना क्षेत्र में ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सूचना शिक्षा ओर संचार के माध्यम से मुद्रित सामग्री का वितरण, दीवारों पर संदेशों का लेखन किया जाता है। क्षेत्रिय इकाईयों का अमला भ्रमण में परियोजना बांध ओर नहरों के आस पास अनावश्यक जल भराव को चिन्हित कर उन्हें समाप्त करने के लिये सबंधित इंजीनियरों को सुझाव भी प्रेषित करता है।

वर्ष 2016 में माह जनवरी से जून तक स्वास्थ्य कार्ययोजना की तीनों इकाईयों द्वारा परियोजना अंचलों में 248 गांवों का भ्रमण किया गया। अमले ने भ्रमण के दौरान 745 रक्त नमूना संग्रहित किये, जिनका प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर 07 रक्त नमूने मलेरिया पॉजीटिव पाये गये। इन प्रकरणों मे तत्कालिक इलाज के रूप में Coloroquine/Artesunate Combination Therapy इलाज उपलब्ध करवाया गया।

स्वास्थ्य इकाई अमले ने पेयजल के 46 नमूनों का परीक्षण भी किया तथा आवश्यक्तानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया गया।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिये प्रत्यक्ष चर्चाओं में सुझाव देते हुये दीवाल लेखन के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश भी प्रचारित किये और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सबंध में जागरूक किया गया।

NIMR द्वारा सर्वेक्षण भ्रमण, निष्कर्षों पर आधारित प्रतिवेदन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये।

**खरगोन जिले में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वास्थ्य ईकाई के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता शिविर।**

# भाग - पांच

## 5.0 परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) के अवार्ड में उल्लेखित समय सीम (वर्ष 2024) तक जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में केन्द्रीय सहायता एवं नाबार्ड सहायता प्राप्त कर कार्य किए जा रहे हैं।

## 5.1 नाबार्ड ऋण सहायता

वर्ष 2016-17 में आर.आई.डी.एफ. (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेक्लपमेंट फण्ड) चरण 15 से आर.आई.डी.एफ. चरण 22 प्रचलन में है जिनके अंतर्गत कुल रुपये 4452.50 करोड़ की कुल नाबार्ड ऋण सहायता स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

**(राशि रु. करोड़ में)**

| स.क्र. | परियोजना | स्वीकृत नाबार्ड सहायता |
|---|---|---|
| 1. | बरगी व्यपवर्तन परियोजना (नहरें) | 1544.19 |
| 2. | इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) | 111.03 |
| 3. | ओंकारेश्वर परियोजना (नहरें) | 105.82 |
| 4. | लोअर गोई परियोजना | 31.81 |
| 5. | अपर नर्मदा परियोजना | 57.84 |
| 6. | हालोन परियोजना | 31.97 |
| 7. | नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना | 1966.67 |
| 8. | चिंकी माईक्रो सिंचाई परियोजना | 603.17 |
| | **योग** | **4452.50** |

## 5.2 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

प्राधिकरण की इंदिरा सागर परियोजना (नहर), ओंकारेश्वर नहर परियोजना (नहर), बरगी व्यवर्तन परियोजना, अपर बेदा परियोजना, पुनासा उद्वहन एवं लोअर गोई परियोजना भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत हैं। विगत वर्षों में एआईबीपी अन्तर्गत निम्नानुसार राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है :-

| वित्तीय वर्ष | भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रुपये करोड़ में) |
|---|---|
| 2010-11 | 270.96 |
| 2011-12 | 113.69 |
| 2012-13 | 201.18 |
| 2013-14 | 211.74 |
| 2014-15 | 96.01 |
| 2015-16 | 127.53 |
| 2016-17 | 197.03 (दिसम्बर 2016 तक) |

# भाग - छः

## 6.0 विभाग के विशेष प्रयास

## 6.1 नर्मदा–मालवा लिंक परियोजनाएं

नदियों को जोड़ने की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिये नर्मदा–मालवा लिंक परियोजनाएं बनाकर मालवा क्षेत्र की 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 हजार ग्रामों के लिये पेयजल की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के निर्माण से नर्मदा नदी का मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उद्वहन कर मालवाचंल में स्थित 4 मुख्य नदियों क्रमशः गंभीर, पार्वती, कालीसिंध एवं क्षिप्रा में लाते हुये इन नदियों को प्रवाहमान करते हुये इनके कछार क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इन परियोजनाओं पर लगभग 26 हजार करोड़ का व्यय अनुमानित है।

## 6.2 नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना

इस क्रम में नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना की नहर से 5 क्यूमेक्स जल का उद्वहन कर इन्दौर जिले के उज्जैनी ग्राम के पास क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल पर प्रवाहित किये जाने हेतु योजना निर्मित की गई है एवं क्रियाशील है। वर्ष 2016 में आयोजित सिंहस्थ महापर्व में परियोजना से क्षिप्रा नदी में सफलतापूर्वक जल प्रवाहित किया गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई।

परियोजना से उज्जैन, देवास नगर की पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसे 250 से अधिक गांवों को भी पीने का पानी सुलभ होगा। समीपस्थ ग्रामों में भू-जल स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उज्जैन, देवास, पीथमपुर क्षेत्र के उद्योगों को उपयोग के लिये जल प्रदाय किया जायेगा।

## 6.3 नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना

नर्मदा मालवा लिंक परियोजनाओं के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल ओंकारेश्वर नहर से उद्वहन कर गंभीर बेसिन में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। योजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना दायीं तट नहर की आर.डी. 9.775 कि.मी. पर स्थित जंक्शन स्ट्रक्चर से 15 क्यूमेक्स जल 405 मीटर तक उद्वहन किया जायेगा। योजना से इन्दौर तथा उज्जैन जिलो में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन जिलों की औद्योगिकी इकाईयों तथा नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 158 ग्रामों के लिये अपरिष्कृत जल भी उपलब्ध कराया जायेगा। योजना निर्माणाधीन है।

## 6.4 चिंकी माइक्रो इरिगेशन परियोजना

नरसिंहपुर तथा रायसेन जिले में 1 लाख 4 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लिये चिंकी माइक्रो इरिगेशन परियोजना स्वीकृत की गई है। परियोजना में नर्मदा नदी के विभिन्न स्थानों से पानी सीधे उद्वहन कर भूमिगत पाईप केनाल द्वारा सिंचाई प्रस्तावित है।

परियोजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कोई डूब क्षेत्र नही होगा एवं भूमिगत केनाल के लिए अस्थाई तौर पर भू-अर्जन की आवश्यकता होगी। परियोजना के लिये राशि रु. 1494.64 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है।

## 6.5 अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना

अलीराजपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हथनी नदी से 10 क्यूमेक्स जल उद्वहन किये जाने की योजना प्रस्तावित है। इस योजना से 35 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना को राशि रु. 833.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई एवं निर्माण कार्य हेतु एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है।

# भाग - सात

## 7.0 उपलब्धि एवं भावी कार्यक्रम

## 7.1 सिंचाई की उपलब्धि

निर्मित तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं से वर्ष 2016-17 में 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना लक्षित है। जनवरी 2017 तक 5 लाख 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा चुका है । सभी परियोजनाओं की नहरों से सिंचाई हेतु सत्त जल प्रवाह जारी है जिससे मार्च 2017 तक लक्ष्य पूर्ण हो जायेगा। वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2016-2017 तक वास्तविक सिंचाई का विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्तविक सिंचाई लाख हेक्टेयर में | 1.92 | 2.86 | 3.66 | 5.01 | 5.50 |

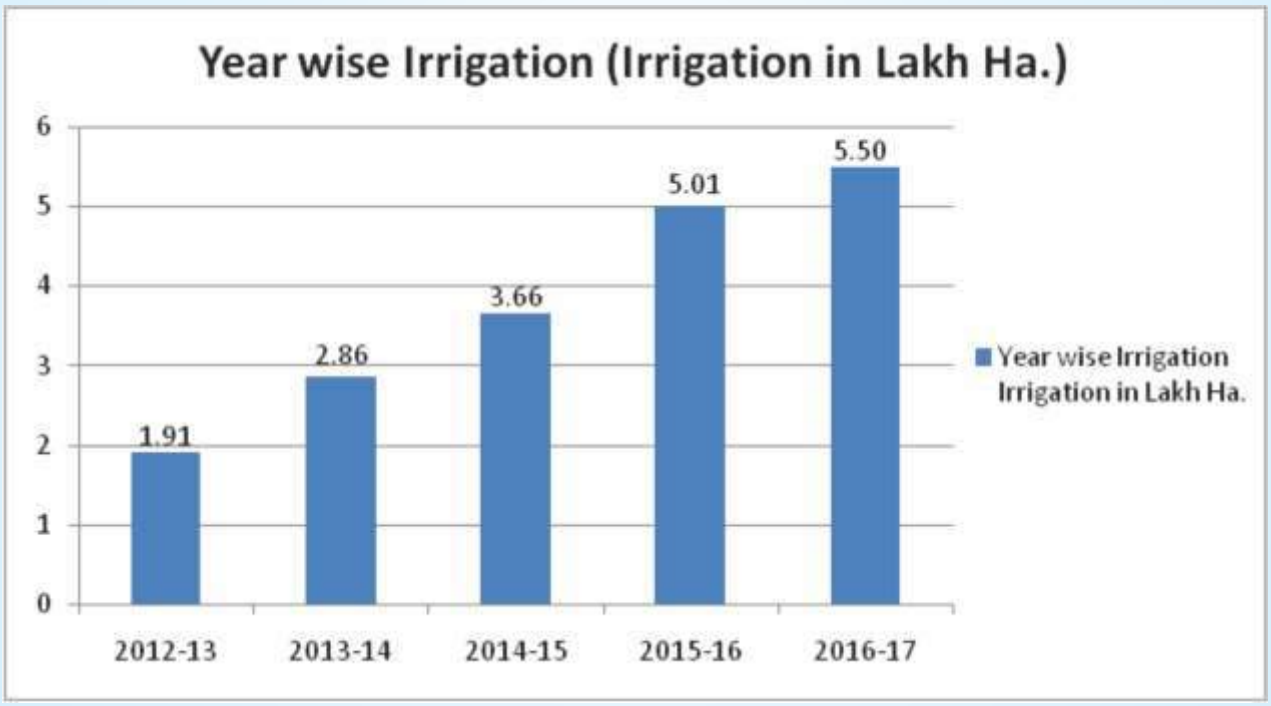


वर्षवार वास्तविक सिंचाई (हेक्टेयर में) का ग्राफिक प्रदर्शन

## 7.2 विद्युत उत्पादन

**प्राधिकरण की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का विवरण :-**

| क्र. | परियोजना का नाम | स्थापित क्षमता मेगावॉट | संचायी विद्युत उत्पादन दिसम्बर 2016 तक मिलियन यूनिट | राजस्व की प्राप्ति (रुपये करोड़ में) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इंदिरा सागर परियोजना नदी तल विद्युत गृह | 1000 | 32792.48 | 906.26 | ● एनएचडीसी के नियंत्रण में |
| 2. | ओंकारेश्वर परियोजना नदी तल विद्युत गृह | 520 | 10961.97 | | |
| 3. | इंदिरा सागर परियोजना नहर शीर्ष विद्युत गृह | 15 | 168.44 | 34.16 | ● 99.53 मि.यू.-प्राधिकरण की पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना में केप्टिव उपयोग हेतु<br>● 68.91 मि.यू.-म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु राशि रुपये 34.16 करोड़ के देयक जारी। |
| 4. | रानी अवंति बाई लोधी सागर नदी तल विद्युत गृह | 90 | 13118.04 | - | म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के नियंत्रण में |
| 5. | रानी अवंति बाई लोधी सागर (बरगी) परियोजना नहर शीर्ष विद्युत गृह | 10 | 75.67 | 34.47 | म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु राशि रुपये 34.47 करोड़ के देयक जारी। |
| 6. | सरदार सरोवर परियोजना नदी तल तथा नहर शीर्ष विद्युत गृह | 826.50 म.प्र. अंश | 22584.28 | 3707.33 | म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को भुगतान हेतु जारी विद्युत देयक की कुल राशि रुपये 3707.33 करोड़। |

## 7.3 बजट प्रावधान तथा व्यय

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्ष में बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है।

**(राशि रुपये करोड़ में)**

| स. क्र. | वर्ष | बजट प्रावधान (पूरक अनुमान मिलाते हुए) | शासन से प्राप्त आवंटन | व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-13 | 1562.74 | 1562.74 | 1531.81 |
| 2 | 2013-14 | 1972.05 | 1972.05 | 1726.93 |
| 3 | 2014-15 | 1586.36 | 1586.36 | 977.45 |
| 4 | 2015-16 | | | |
| | आयोजना मद | 2129.28 | 2129.28 | 1345.50 |
| | आयोजनेत्तर मद | 47.00 | 47.00 | 33.85 |
| | **योग** | **2176.28** | **2176.28** | **1379.355** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016-17 जनवरी 2017 तक | | | |
| आयोजना मद | 2270.10 | 2270.10 | 1342.98 |
| आयोजनेत्तर मद | 68.02 | 68.02 | 45.82 |
| **योग** | **2338.12** | **2338.12** | **1388.8** |

## 7.4 दृष्टि पत्र 2018

### बिन्दु क्रमांक 1.B. सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास

1.B.1 प्रतिवर्ष 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। (जल ससांधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग संयुक्त रूप से)

1.B.1.1 12वीं योजना में परिलक्षित सभी सिंचाई पस्योजनाओं को पूरा कर रबी में संचयी वास्तविक सिंचित क्षेत्र को कम से कम 40 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जायेगा।

- नर्मदा घाटी विकास विभाग की निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से वर्ष 2016-17 में 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर कार्य करते हुए जनवरी 2017 तक 5 लाख 26 हजार हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराई गई। नहरों से जल प्रवाह जारी है एवं लक्षित सिंचाई पूर्ण कर ली जायेगी।

  दृष्टिपत्र के अनुसार वर्ष 2018-19 तक वास्तविक सिंचाई के क्षेत्र को 7 लाख 94 हजार हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है जिसकी पूर्ति हेतु परियोजनाओं के निर्माण कार्य जारी है।

1.B.1.7 **कुल 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण। (जल ससांधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग संयुक्त रूप से)**

**वर्तमान स्थिति –** विभाग की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में दिसम्बर 2016 तक 116170 हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल और वाटरकोर्स निर्माण कार्य कराये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 तक कुल 2.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

1.B.3 **नर्मदा मालवा वॉटर लिंक स्थापित कर मालवा क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता।**

1.B.3.1 नर्मदा-मालवा-लिंक परियोजना के अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। माइक्रो इस्गिेशन नेटवर्क परियोजना के माध्यम से सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

**वर्तमान स्थिति –** नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना, बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना, अलीराजपुर माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु एजेंसी निर्धारण कर कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं से 90 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्र में छैगांवमखन एवं बिस्टान माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं का कार्य भी आरम्भ हो चुका है जिससे 57 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

इसके अतिरिक्त नर्मदा कालीसिंध लिंक, नर्मदा पार्वती लिंक, नर्मदा क्षिप्रा लिंक एवं नर्मदा गंभीर लिंक पार्ट-2 का कार्य भी लिया जाएगा जिससे समग्र रूप से 7 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी।

1.B.3.2 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पहल के तहत नर्मदा जल के माध्यम से नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जायेगा। इससे 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा।

**वर्तमान स्थिति –** नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य पूर्ण। इस योजना से क्षिप्रा नदी रिचार्ज हो रही है। समीपवर्ती क्षेत्र का भू-जल स्तर बढ रहा है। इस क्रम में नर्मदा-मालवा लिंक परियोजनाओं का कार्य लिये जाने हेतु भी ऊपर दिये गए विवरण अनुसार कार्यवाही जारी है।

## 7.5 जन संकल्प 2013

**2.48** सिंचाई जलाशय के नहर तंत्र को मजबूत करने का अभियान इस उद्देश्य से चलाया जायेगा कि नहर का पानी आखरी सिरे तक पहुंचे।

- सिंचाई के दौरान यह कार्य किया जा रहा है।

**2.49 प्रति वर्ष समस्त सिंचाई सुविधा में 10 प्रतिशत की वृद्धि।**

- नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं से वर्ष 2016-17 में 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है जो कि विगत वर्ष (2015-16) के लक्ष्य की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

**2.50 संपूर्ण मध्यप्रदेश में वास्तविक सिंचाई क्षेत्र 40 लाख हेक्टेयर से अधिक करने का लक्ष्य।**

- नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई पस्योजनाओं से जनवरी 2017 तक 5 लाख 26 हजार हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई की गई। वर्ष 2018-19 तक 7 लाख 94 हजार हेक्टेयर सिंचाई करने का लक्ष्य है।

2.51 नर्मदा-मालवा लिंक परियोजना स्थापित कर मालवा क्षेत्र का सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिये जल की उपलब्धता की ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही। इस बात की भी कोशिश की जायेगी कि और कौन-कौन सी नदियां कहां-कहां जोड़ी जा सकती है।

- नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना पूर्ण है। नर्मदा-मालवा लिंक काम्पलेक्स के दूसरे चरण में नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कालीसिंध एवं पार्वती एवं क्षिप्रा लिंक परियोजनाओं के लिये आगामी वर्षो में कार्यवाही की जावेगी।

## 7.6 भावी कार्ययोजना

- वर्ष 2017-18 में 6.0 लाख हेक्टेयर सिंचाई लक्षित है।
- वर्ष 2017-18 में 0.5 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकास का लक्ष्य है।
- लोअर गोई बांध का कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- हालोन परियोजना दिसम्बर 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- बी.डी.पी. टनल कार्य को गति दी जायेगी।
- छीपानेर, चिंकी एवं नर्मदा-कालीसिंध माइक्रो इरिगेशन एम.आई.पी. परियोजनाओं के निर्माण कार्य आरंभ किये जाएंगे।
- नर्मदा-पार्वती लिंक एवं नर्मदा क्षिप्रा लिंक एम.आई.पी. परियोजनाओं के लिये कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
- नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना से सिंचाई प्रारंभ की जाएगी।

# भाग - आठ

## जल उपयोग के लिये विभाग की नवाचारी रणनीति

मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा कछार जल के सिंचाई कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करने की समय सीमा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की गई है। नये भूअर्जन अधिनियम में उल्लेखित भूअर्जन प्रावधानों के कारण वृहद बांध परियोजनाओं के लिये भूअर्जन करना जटिल और परियोजना की लागत कई गुना बढ़ाने वाला हो गया है। इन परिस्थितियों में नर्मदा घाटी विकास विभाग ने जल उपयोग के लिये वैकल्पिक नवाचारी रणनीति पर कार्य करना आरम्भ किया है। इस रणनीति के अंतर्गत वृहद परियोजना जलाशयों, परियोजना की मुख्य नहरों, नदी प्रवाह से जल उद्वहन कर माईक्रो सिंचाई प्रणाली से तेजी से जल उपयोग और सिंचाई क्षेत्र विस्तार सुनिश्चत किया जायेगा।

इससे बांध परियोजनाओं के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी समस्याओं से निराकरण में लगने वाले लंबे समय से बचते हुये कम समय में नये कमाण्ड क्षेत्र सृजित किये जा सकेंगे। यह कमाण्ड क्षेत्र ऐसे होंगे जो वृहद बांध परियोजना नहरों से ऊंची भौगोलिक स्थिति के कारण सिंचाई से छूटे हुये हैं।

विभाग द्वारा ओंकारेश्वर परियोजना नहर से जल उद्वहन कर नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना का सफलतापूर्वक निर्माण और संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली नर्मदा मालवा गम्भीर लिंक योजना का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2016-17 में विभाग ने नई रणनीति के अंतर्गत 3 लाख 61 हजार 363 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र सृजित करने वाली 15 उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजनाओं के डी.पी.आर. तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है।

नई रणनीति में स्वीकृत योजनाओं में से छैगांवमाखन (35 हजार हेक्टेयर), बिस्टान (22 हजार हेक्टेयर) और अलीराजपुर (35 हजार हेक्टेयर), बलवाडा (5 हजार हेक्टेयर) योजनाओं के निर्माण की एजेन्सी निर्धारित कर दी गई है। इन योजनाओं का मैदानी कार्य शीघ्र आरम्भ होगा। स्वीकृत शेष योजनाओं का कार्य वर्ष 2017-18 में आरम्भ किया जायेगा।

स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | योजना का नाम | लागत रु. करोड़ | सिंचाई क्षमता हेक्ट. | लाभान्वित जिला | लाभान्वित तहसील |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बलवाडा एमआईपी | 53.00 | 5000 | खरगोन | बडवाह, महेश्वर |
| 2 | छैगांवमाखन एमआईपी | 784.10 | 35000 | खण्डवा | खण्डवा, पंधाना |
| 3 | बिस्टान एमआईपी | 515.10 | 22000 | खरगोन | गोगांवा, भगवानपुरा, खरगोन |
| 4 | अलीराजपुर एमआईपी | 833.35 | 35000 | अलीराजपुर | अलीराजपुर, जोबट, सोण्डवा, भांभरा, कटटीबाड़ा |
| 5 | अपर बेदा आरबीसी | 10.60 | 1800 | खरगोन | भीकनगांव, झिरन्या |
| 6 | चिंकी एमआईपी | 1494.64 | 104134 | नरसिंहपुर, रायसेन | नरसिंहपुर, करेली, तेन्दूखेडा, उदयपुरा, बरेली |
| 7 | हरसूद एमआईपी | 113.41 | 5648 | खण्डवा | हरसूद |
| 8 | छीपानेर एमआईपी | 516.11 | 35000 | सीहोर,देवास | नसरूल्लागंज, खातेगांव |
| 9 | अम्बा रोडिया उद्वहन | 138.29 | 9915 | खरगोन | सनावद, भीकनगांव, कसरावद |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | चोंड़ी जामनिया एमआईपी | 68.36 | 4000 | खरगोन | भीकनगांव, कसरावद |
| 11 | बलकवाड़ा एमआईपी | 123.96 | 9000 | खरगोन | कसरावद |
| 12 | जावर एमआईपी | 466.91 | 26000 | खण्डवा | खण्डवा |
| 13 | भीकनगांव बिन्जलवाड़ा एमआईपी | 745.00 | 50000 | खरगोन, खण्डवा | सनावद, भीकनगांव, झिरन्या, खण्डवा, पंधाना |
| 14 | सिमरोल, अम्बाचन्दन | 59.13 | 4000 | इन्दौर | महू |
| 15 | ढीमरखेड़ा एमआईपी | 256.16 | 15000 | कटनी | ढीमरखेड़ा |
| | **योग** | **6178.12** | **361497** | | |